न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 151/2022 दायर दिनाँक 28.06.2022

वादी

1. दलाराम पुत्र उमाराम उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी बांसा, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 29.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सं0 668 रकबा 1.2900 हैक्टे0, खसरा सं0 673 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 674 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 675 रकबा 1.7300 हैक्टे0, खसरा सं0 676 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 677 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 678 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 679 रकबा 2.1000 हैक्टे0 कुल खसरा सं0 8 कुल रकबा 5.3100 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम बांसा पटवार हल्का बांसा भू0 अभि0 निरीक्षक निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि वादी की खातेदारी व हक अधिकार की उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुलाराम दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादी का वास्तविक नाम दलाराम है जो सही एवं सत्य है।

यह है कि वादी द्वारा कृषि कार्य हेतु ऋण लेने के लिए पटवारी से नकल खतौनी प्राप्त करने से ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दुलाराम अंकित हो रखा है, जबकि वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में वादी का नाम दलाराम अंकित है तो वादी का वास्तविक व सही नाम है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:–

यह है कि वादी के खातेदारी के खेत खसरा सं0 668 रकबा 1.2900 हैक्टे0, खसरा सं0 673 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 674 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 675 रकबा 1.7300 हैक्टे0, खसरा सं0 676 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 677 रकबा 0.0500 हैक्टे0, 678 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 679 रकबा 2.1000 हैक्टे0 वाकै सरहद बांसा में वादी का नाम दुलाराम के स्थान पर दलाराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:06:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया [illegible] बावजूद प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन [illegible] तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। सरपंच ग्राम पंचायत बांसा को शामिल मिशल किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः वाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बांसा के खेत खसरा सं0 668 रकबा 1.2900 हैक्टे0, खसरा सं0 673 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 674 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 675 रकबा 1.7300 हैक्टे0, खसरा सं0 676 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 677 रकबा 0.0500 हैक्टे0, 678 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 679 रकबा 2.1000 हैक्टे0 में वादी के गलत नाम के अंकन दुलाराम के स्थान पर दलाराम दुरूस्त किया जाता है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 29.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:06:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 151/2022 दायर दिनाँक 28.06.2022

वादी
1. दलाराम पुत्र उमाराम उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी बांसा, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण
1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 29.08.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बांसा के खेत खसरा सं0 668 रकबा 1.2900 हैक्टे0, खसरा सं0 673 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 674 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 675 रकबा 1.7300 हैक्टे0, खसरा सं0 676 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 677 रकबा 0.0500 हैक्टे0, 678 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 679 रकबा 2.1000 हैक्टे0 में वादी के गलत नाम के अंकन दुलाराम के स्थान पर दलाराम दुरूस्त किया जाता है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–...............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो प[illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना लाजिम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:06:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner